REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032021-225850 CG-DL-E-12032021-225850

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1058] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 11, 2021/फाल्गुन 20, 1942 No. 1058] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 11, 2021/PHALGUNA 20, 1942

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2021

**का.आ. 1146(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को उक्त तालिका के क्रमश: स्तम्भ (1), (2)

और (3) में यथा-निर्दिष्ट नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाएगा।

क्र.सं .	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं .	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
594	119 ऐ	बिहार राज्य में सुआरा (सासाराम) के निकट रारा-19 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर गरहानी पाटर (आरा) को जोड़ते हुए शादीसोपुर (पटना) के निकट रारा-131जी

तालिका

के साथ इसके जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग इसके सहित पाटर (आरा) से
प्रारम्भ होकर और असनी (आरा) के पास रारा-319 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त
होने वाला स्पर मार्ग।

**पाद टिप्पण:** राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और बाद में अधिसचना सं. का. आ. 1043 (अ), दिनांकित 04 मार्च 2021 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/1/2021-पी एंड एम पार्ट1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2021

**S.O. 1146(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

Sl. No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
594	119A	The highway starting from its junction with NH-19 near Suara (Sasaram) connecting Garhani, Patar (Arrah) and terminating at its junction with NH -131G near Sadisopur (Patna) including spur starting near Patar (Arrah) and terminating at its junction with NH-319 near Asni (Arrah) in the state of Bihar.

**Footnote**: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 1043 (E), dated 4<sup>th</sup> March, 2021.

[F. No. NH-14012/1/2021-P&M(Pt.1)] RAJESH GUPTA, Director

## TABLE